उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-09/2019/77/92-2-19-43जॉच/2014

लखनऊ:: दिनांक 10 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 04.06.2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा देवीपाटन मण्डल के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-इकौना में वर्ष 2012-13 के लिये चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम-भरथापुर के निरीक्षण में पूर्व में निर्मित सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता अधोमानक पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2404/92-2014-43 जांच/2014 दि0 04.06.2014 द्वारा श्री वी0के0 दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 29.08.2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी को निम्नवत आरोपित किया गया है :-

आरोप संख्या-1

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत समग्र ग्राम-भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना के कार्य हेतु मानक विशिष्टियों का निर्धारण करते हुये आपके द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निर्धारित मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराने हेतु मै0 स्टार कान्स्ट्रक्शन नानपारा-बहराइच के पक्ष में आपने अनुबंध संख्या-54/ईई/आरईडी/दिनांक 08-10-2013 गठन किया था। समग्र ग्राम-भरथापुर गली नं0-01 से 04 तक का कार्य आपके कार्यकाल में पूर्ण कराया गया। आपके द्वारा गली नं0-2, 03 एवं 04 का भुगतान किया गया। आपकी देखरेख में कराये गये कार्यो का लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं निर्मित कार्य का टेस्टिंग कराने पर कराये गये कार्यो की गुणवत्ता अधोमानक पायी गई। इस प्रकार से आप स्वयं के द्वारा निर्धारित मानक विशिष्टियों के विपरीत कार्य कराने, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-535 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के प्रस्तर-311 का उल्लंघन करने, अधिशासी अभियंताओं के लिये निर्धारित दायित्व (जॉब चार्ट) का पालन न करने, कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 (क) कर्तव्य निर्वहन में विफल होने, अधोमानक कार्य कराने तथा अधोमानक कार्यो का भुगतान करने के लिये दोषी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या-2

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत समग्र ग्राम-भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना के कार्य हेतु मानक विशिष्टियों का निर्धारण करते हुये आपके द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निर्धारित मानक विशिष्टियों के विपरीत कराये गये अधोमानक कार्यो का आप द्वारा भुगतान किया गया। निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखने तथा पर्यवेक्षीय दायित्व के निर्वाहन की दृष्टि से उ0प्र0 शासन एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से अधिशासी अभियंताओं के लिये दायित्व निर्धारित करते हुये माप चेकिंग करने, स्थलीय निरीक्षण करने, निरीक्षण उपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निरीक्षण रिपोर्ट निर्गत करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु आपके द्वारा विभागाध्यक्ष एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप कोई माप चेंकिग नही की गई। सहायक अभियंता की माप चेकिंग एवं भुगतान की संस्तुति के बिना अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया। आपके द्वारा निरीक्षण करते हुये, निरीक्षण रिपोर्ट भी निर्गत नही किया गया। इस प्रकार से आप सहायक अभियंता की माप चेकिंग/संस्तुति के बिना अधोमानक मापी का भुगतान करने, विभागाध्यक्ष/शासन के आदेशों के विपरीत कृत्य करने, गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण न रखने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वाहन न करने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 (क) कर्तव्य निर्वहन में विफल होने के लिये दोषी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

उ0प्र0 शासन एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय स्तर से प्रसारित व्यवस्था के अंतर्गत सहायक अभिंयताओं के मध्य कार्य विभाजन का अधिकार संबंधित परिमण्डल के अधीक्षण अभियंताओं में निहित किया गया है। परन्तु आपके डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत समग्र ग्राम- भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना के कार्य हेतु तैनात सहायक अभियंता से कार्य न लेकर अनियमित रूप से 05 अवर अभियंताओं की समिति गठित करके, गठित समिति को सहायक अभियंता का दायित्व निर्वाहन करने के लिये आदेश पारित किए गए। इस अनियमित गठित समिति के स्तर से किसी भी मापी का सत्यापन न किये जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा अधोमानक कार्य को स्वीकार करते हुये भुगतान किया गया। इस प्रकार से आप प्रतिपादित व्यवस्था के विपरीत स्वेच्छापूर्वक कार्य करने, आपको प्रदत्त अधिकार का अतिक्रमण करने तथा उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन करने के लिये दोषी पाए जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 29.08.2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री वी0के0 दूबे के विरूद्ध अधिरोपित 03 आरोपों में से मात्र आरोप सं0-2 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया, किन्तु शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त जांच अधिकारी से इतर निम्नवत मत स्थापित किया गया :-

क- आरोप संख्या-1 में जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी को अधोमानक कार्य जिसका भुगतान कर दिया गया है, के लिये उत्तरदायी माना गया है फिर भी अपने जांच निष्कर्ष में अपचारी अधिकारी पर इस आरोप को स्थापित होना नही बताया गया है, जिसे उचित नही माना जा सकता। जब यह स्थापित है कि श्री वी0के0 दूबे द्वारा अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तो उन पर अधिरोपित आरोप संख्या-1 भी इस सीमा तक सिद्ध होना दृष्टिगोचर हो रहा है।

ख- आरोप संख्या-2 में जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी पर पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न करने, गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण न रखने, सहायक अभियंता की संस्तुति के बिना अधोमानक कार्य का भुगतान करने का आरोप यदयपि स्थापित नही पाया गया किन्तु अपचारी अधिकारी पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन के रूप में किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी निर्गत न करने का आरोपांश स्थापित पाया गया है।

ग- आरोप संख्या-3 में जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी को शासकीय/कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुये स्वयं के पास दोहरा कार्यभार होने, प्रखण्ड-श्रावस्ती में सहायक अभियंता उपलब्ध न होने के कारण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के उददेश्य से विवशतावश् 05 अवर अभियंताओं की समिति गठित करने की स्थिति को परिलक्षित माना गया है किन्तु दिये गये जांच निष्कर्ष में प्रदत्त अधिकार का अितक्रमण करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों का हनन किये जाने सबंधी आरोप को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थापित नही माना गया है जो उचित नही है क्योंकि सहायक अभियंता पद के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है और सहायक अभियंता के रिक्त पद के संबंध में कोई व्यवस्था शासन द्वारा ही की जा सकती है। यह भी स्थापित होता है कि अनियमित रूप से गठित उक्तवत समिति के स्तर से भी प्रश्नगत कार्यो की मापी का सत्यापन न किये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी द्वारा अधोमानक कार्य को स्वीकार करते हुये उसके सापेक्ष ठेकेदार को भुगतान किया गया है। श्री दूबे द्वारा कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से समिति गठित की गयी, जो उनके पद में निहित अधिकार से परे जाकर किया गया कृत्य है। अपचारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप कोई माप चेंकिग नही की गयी तथा सहायक अभियंता की माप चेकिंग एवं भुगतान की संस्तुति के बिना अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है। इस प्रकार विभागीय कार्मिको की अनुपस्थिति में ठेकेदार द्वारा अधोमानक कार्य कराया गया है। श्री दूबे द्वारा कार्यो का ससमय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता तो अधोमानक कार्य नही होता। इस प्रकार इस मामले में किये गये अधोमानक कार्य में श्री वी0के0 दूबे की संलिप्तता परिलक्षित हो रही है और उनके द्वारा अपने पदीय अधिकारों का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किया जाना स्थापित होता है।

3- उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(2) में निहित व्यवस्थानुसार जांच अधिकारी की जांच आख्या से इतर मत स्थापित करते हुये अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 स्थापित पाये जाने के शासन के पत्र दिनांक 26.11.2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी से जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों एवं शासन द्वारा स्थापित आरोपों के संबंध में का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 27.11.2014 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री दूबे को उनके कार्यकाल में हुये कार्य अधो मानक पाया जाना तथा उसका भुगतान भी कर दिये जाने के दृष्टिगत परिनिन्दा के साथ स्थायी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। शासन द्वारा उक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 21-11-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-23/2015/3290/92-2-15-43जांच/14 दि0 30-12-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री दूबे के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 04-06-2015 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त कर दी गयी :-

(क) श्री वी0के0 दूबे को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत ''परिनिन्दित'' किया जाता है :-

''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम भरथापुर, वि0 खण्ड-इकौना में कराये गये कार्य अधोमानक होने, अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने तथा अपने पदीय अधिकारों का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री वी0के0 दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-श्रावस्ती को परिनिन्दित किया जाता है।''

(ख) श्री वी0के0 दूबे की एक वेतनवृद्धि स्थायी प्रभाव से रोकी जाती है।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दिनांक 30-12-2015 के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री दूबे द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में निर्देश याचिका सं0-797/2016 विजय कुमार दूबे बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दि0 06-10-2016 को निम्नवत आदेश पारित किये गये :-

" The claim petition is allowed. The impugned order of punishment dated 30.12.2015 is hereby quashed with liberty to the Disciplinary Authority to supply a copy of the report of the Uttar Pradesh Public Service Commission to the petitioner and thereafter take a fresh decision in accordance with law within a period of three months from the date a certified copy of this order is produced before the competent Authority. There is no order as to costs."

6- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दि0 06-10-2016 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-1113/92-2-18-43जांच/2014 दि0 16-05-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दूबे के विरूद्ध शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दि0 30-12-2015 को निरस्त कर दिया गया तथा शासन के पत्रसं0-1224/92-2-18-43जांच/2014 दि0 16-05-2018 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति विषयक पत्र दि0 21-11-2015 की प्रति अपचारी अधिकारी श्री दूबे को उपलब्ध कराते हुये उनका बचाव उत्तर/लिखित प्रतिउत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जो उनके पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री दूबे द्वारा निम्नवत तथ्य अंकित किये गये है :-

1- कार्यालय ज्ञाप सं0-1113/92-2-18-43जांच/14 दि0 16-05-2018 के माध्यम से पारित दण्डादेश दि0 30-12-2015 निरस्त कर दिया गया है।
2- राज्य लोक सेवा अभिकरण के आदेश दि0 06-10-2016 के लगभग 20 माह बाद मुझे से अभ्यावेदन पर अभिकथन चाहा गया है।
3- निर्देश याचिका में पारित निर्णय दि0 06-10-2016 प्रमुख सचिव, ग्रा0अ0वि0 की सेवा संलग्न पत्र दि0 24-10-2016 स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित किया गया है, जिसकी 3 माह की अवधि दिनांक 23-10-2017 को पूर्ण हो चुकी है।
4- शासन द्वारा लगभग 20 माह बाद अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रखे जाने का निर्णय दि0 16-05-2018 को लिया गया है।
5- उनका वित्तीय स्तरोन्नयन दि0 17-04-2015 को देय है एवं इसका लाभ दि0 12-06-2018 तक नही मिल सका है।
6- डा0 लोहिया ग्राम भरथापुर में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण में निम्नानुसार अभियंताओं द्वारा कार्य कराया गया है तथा भुगतान किया गया है जैसा कि प्रखण्ड-श्रावस्ती के कार्यो के विवरण दि0 17-07-2014 से स्पष्ट है।
   क- श्री डी0पी0 गुप्ता, अवर अभियंता
   ख- मो0 हनीफ, सहा0अभि0, श्री एस0पी0 राव एवं श्री अभय शंकर सिंह, सहा0अभि0
   ग- श्री वी0के0 दूबे, श्री मंजूर अहमद एवं श्री ए0आर0 खान, अधिशासी अभियंता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- क्रम सं0-6 में उल्लिखित 7 अभियंताओं में से मात्र अवर अभियंता श्री डी0पी0 गुप्ता तथा वी0के0 दूबे अधिशासी अभियंता पर ही निलम्बन तथा अनुशासनिक जांच की कार्यवाही की गई यह संविधान के आर्टीकल-226 के अनुसार न्यायोचित नही है तथा नैसर्गिक न्याय के भी विरूद्ध है।

8- अधीक्षण अभियंता, देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा मात्र-3 अभिंयताओं के नाम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए गए थे जैसा कि पत्रांकमेमो-01 दि0 04-06-2014 से स्पष्ट है जो नितान्त भ्रामक सूचना है तथा आपत्तिजनक है।

9- श्री डी0पी0 गुप्ता, अ0अभि0 को निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यालय आदेशसं0-1602/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अ0अभि0/व्य0प0-डी-146/2014-15 दि027-03-2015 को निलम्बन से बहाल करते हुये तथा चेतावनी देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

10- निर्माण कार्यो में परिपत्र सं0-1857 दि0 26-06-1999 के अनुसार दायित्व निर्धारण में भौतिक उपस्थित हेतु चिन्हित अधिकारी, अवर अभियंता तथा भौतिक चौकिंग हेतु उत्तरदायी अधिकारी सहायक अभियंता है।

11- इस प्रकार डा0 लोहिया ग्राम भरथापुर में 7 अभियंताओं में से सिर्फ उन्हें ही दण्डादेश दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

12- दि0 07-12-2013 को प्रखण्ड-श्रावस्ती का कार्यभार श्री मंजूर अहमद, अधि0अभि0 को दिया दिया गया।

13- डा0 लोहिया ग्राम भरथापुर का कार्य मै0 स्टार कंस्ट्रेक्शन द्वारा अनुबंध सं0-54/ईई/दिनांक 06-10-2013 के अंतर्गत कराया जा रहा था जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि दि0 08-10-2013 तथा कार्य समाप्ति की तिथि दि0 06-12-2013 निर्धारित थी दि0 18-11-2013 के प्रगति विवरण की प्रति संलग्न है। इस प्रगति विवरण से स्पष्ट है कि दि0 18-11-2013 तक एल0सी0 का कार्य 567.50 मी0 के विरूद्ध 350 मी0, सी0सी0 का कार्य 567.50 मी0 के विरूद्ध 75 मी0 तथा के0सी0 ड्रेन 875 मी0 के विरूद्ध 550 मी0 ही बनाई जा सकी थी।

उक्त से स्पष्ट है कि कार्यभार छोडने के दि0 07-12-2013 से मात्र 19 दिन पहले के प्रगति विवरण में 567.50 मी0 के विरूद्ध 75 मी0 ही सी0सी0 रोड का कार्य हो सका था।

14- श्री ए0आर0 खान, अधि0अभि0 द्वारा पत्रांक 1202 दि0 19-02-2014 से भी स्पष्ट है कि कार्य दि0 19-02-2014 तक भी पूर्ण नही हुआ था।

15- दिनांक 17-11-2013 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि -

क- गली सं0-2 की सरफेस ब्रमिंग ठीक करायी जाय।

ख- गली सं0-4 में के0सी0 ड्रेंन की गोलाई कही-कही ठीक कराने के योग्य है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि गली सं0-4 की लम्बाई 108 मी0 है गली सं0-2 की लम्बाई 62 मी0 है गली सं0-1 की लम्बाई 373 मी0 है तथा गली सं0-3 की लम्बाई 24.50 मी0 है। अर्थात निरीक्षण की तिथि दि0 17-11-2013 एवं प्रगति विवरण की तिथि दिनांक 18-11-2013 तक सी0सी0 रोड का कार्य मात्र 75 मी0 ही था, अर्थात गली सं0-2 पूर्ण थी एवं गली सं0-4 का कार्य प्रगति पर था। दिनांक 07-12-2013 को प्रखण्ड श्रावस्ती का कार्यभार श्री मंजूर अहमद, अधि0अभि0 द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। दि0 18-11-2013 के प्रगति विवरण के पश्चात गली सं0-3 22मी0 का कार्य और सम्पन्न हो गया।

16- उनके द्वारा प्रथम रनिंग बिल का भुगतान 30.11.2013 को किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- गली सं0-3 एवं गली सं0-4 का भुगतान माप पुस्तिका सं0-एल-17 के पृ0सं0-48 पर किया गया। इ0 ए0आर0 खान द्वारा श्री मंजूर अहमद अधि0अभि0 से दि0 06-01-2014 को प्रखण्ड -श्रावस्ती का कार्यभार ग्रहण किया एवं मे0 स्टार कान्स्ट्रक्शन को नोटिस पत्रांक 1202 दि0 19-02-2014 द्वारा दी गयी।

18- निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में ग्रामवासियों का पत्रांक शून्य दि0 26-07-2014 द्वारा पुष्टि होती है।

19- इं0ए0आर0 खान द्वारा द्वितीय रनिंग बिल बाउचर सं0-11 दि0 13.02.014 के माध्यम से 546482.00 मात्र का किया गया है, एवं इसी बिल में वर्क इन प्रोगेस अंकित है।

20- दिनांक 30.10.2013 को गली सं0-4 की सी0सी0 रोड की सात दिन की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ एवरेज 150 किलो प्रति वर्ग से0मी0 पाई गई थी।

21- गली सं0-2 एवं गली सं0-3 की 7 दिन की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ दि0 29-10-2013 को करायी गयी थी जो 149 किलो प्रति वर्ग सेमी0 पाई गई।

22- दिनांक 17.11.2013 के अतिरिक्त कार्य का निरीक्षण मा0 आयुक्त देवीपाटन मण्डल के साथ दि0 23.10.2013 को किया गया था जिसकी निरीक्षण टीप स्वाभाविक रूप से आयुक्त महोदय द्वारा ही जारी की जानी थी।

23- प्रखण्ड-बहराईच का मूल पदभार तथा प्रखण्ड-श्रावस्ती का अतिरिक्त कार्यभार था एवं दोनो प्रखण्डों में कार्यो की संख्या 308 से अधिक थी।

24- श्री ए0आर0 खान अधि0अभि0 द्वारा द्वितीय रनिंग बिल का भुगतान 13.02.2014 को किया गया जिसमें अप टू डेट बिल की धनराशि 1095885.00 अंकित है जिसमें प्रथम बिल की धनराशि सम्मिलित है एवं श्री खान द्वारा मे0 स्टार कन्स्ट्रेक्शन को नोटिस दि0 19.02.2014 को जारी की गई।

25- नियमानुसार क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर भी तैयार कराया गया था।

26- सीमेण्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पत्रांक 775 दि0 07.10.2013 द्वारा आवश्यक टी0एण्ड पी0 कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा सामग्री के स्पेसीफिकेशन्स सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता का पत्र लिखा गया था।

27- सहायक अभियंता श्री एस0पी0 राव को पत्रांक 807 दि0 08.11.2013 भी जारी किया था ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

28- सहायक अभियंता श्री एस0पी0 राव को पत्रांक 807 दि0 08.11.2013 भी जारी किया था जिससे स्पषट है कि श्री राव की कार्य्र प्रणाली कितनी शिथिल तथा लापरवाही पूर्ण रही।

29- सहायक अभियंताओं के तैनाती की मांग स्वयं तो की ही गई वरन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अर्द्धशा0 पत्र सं0-609 दि0 18.09.2013 प्रेषित कराया गया है।

30- इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय को दि0 02.09.2014 को समस्त परिस्थितियां स्पष्ट करते हुये प्रत्यावेदन भी दिया गया था।

31- अनुबंध में विहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये निष्ठा लगन एवं ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन किया गया।

32- लगाये गये तीन आरोपों में जांच अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प0क्षे0) द्वारा कोई भी आरोप स्थापित नहीं पाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33- चाहे गये अभिकथन पर और अध्किाक प्रकाश डालते हुये दि0 27-11-2014 को अभिकथन प्रस्तुत किया गया।

34- पत्रांक-549 दि0 11.08.2015 द्वारा निलम्बन अवधि के वेतन हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अब तक निलम्बन अवधि का वेतन नही दिया गया।

35- महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कार्य दि0 19.02.2014 तक प्रगति में था जैसा कि पत्रांक-1202 दि0 19.02.2014 द्वारा निर्गत नोटिस से स्पष्ट होता है तथा अनुबंध की शर्तो के अनुसार अंतिम बिल भुगतान की तिथि से 1 वर्ष 45 दिन तक ठेकेदार की सिक्योरिटी इसीलिये बंधक रहती है कि यदि इस अवधि में कोई कमी/टूट-फूट होती है तो उसका समस्त दायित्व फर्म/ठेकेदार का होता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रखण्ड श्रावस्ती के कार्यभार दि0 07.12.2013 को ही मुक्त हो गया था एवं कार्य प्रगति पर था।

36- अधिकतम जानकारी के अनुसार निदेशक एवं मुख्य अभियंता महोदय से शासन द्वारा पत्रांक 5421 दि0 27.01.2015 के माध्यम से अभिमत चाहा गया था जिसमें गली सं0-1 का भुगतान श्री ए0आर0 खान द्वारा 188 मी0 लम्बाई का किए जाने का उल्लेख है तथा अभिमत में यह भी लिखा गया है कि कार्य वर्टिकल टेण्डर प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार के माध्यम से कराये जाने के कारण विशिष्टियों के अनुसार कार्य करना ठेकेदार का दायित्व है ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे समस्त चैनेजों के समस्त कार्यमदों से संबंधित कार्यो में अपचारी अधिकारी सहित विभागीय अधिकारियों/कार्मिको की शत प्रतिशत उपस्थिति संभव नही है।

7- यद्यपि उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-16 में राज्यपाल द्वारा किसी आदेश पारित किये जाने से पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 लोक (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किये जाने की व्यवस्था भी मात्र निहित है, जिसमें लोक सेवा आयोग की सहमति विषयक पत्र अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये अभ्यावेदन/बचाव उत्तर लिये जाने की व्यवस्था विहित नही है फिर भी मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दि0 06-10-2016 के अनुपालन के क्रम में अपचारी अधिकारी को लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की सहमति विषयक पत्र उपलब्ध कराते हुये पुन बचाव उत्तर मांगा गया। अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर दि0 20-06-2018 में किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नही किया गया है, जिससे उनके विरूद्ध प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना में कराये गये कार्य अधोमानक होने, अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने तथा अपने पदीय अधिकारी का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री वी0के0 दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-श्रावस्ती को परिनिन्दित किये जाने एवं एक वेतनवृद्धि स्थायी प्रभाव से रोके जाने का शासन पूर्व में विनिश्चित अनन्तिम दण्ड की मात्रा में किसी प्रकार का विचलन/परिवर्तन किया जा सकें। प्रकरण में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 21-11-2015 द्वारा पूर्व में ही सहमति प्रदान की जा चुकी है। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड, जिस पर लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 21-11-2015 द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध करायी गयी सहमति के आधार पर अपचारी अधिकारी, श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावसती के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-06-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत् दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(क) श्री वी0के0 दूबे को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत ''परिनिन्दित'' किया जाता है :-

''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम भरथापुर, वि0 खण्ड-इकौना में कराये गये कार्य अधोमानक होने, अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने तथा अपने पदीय अधिकारों का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री वी0के0 दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-श्रावस्ती को परिनिन्दित किया जाता है।''

(ख) श्री वी0के0 दूबे की एक वेतनवृद्धि स्थायी प्रभाव से रोकी जाती है।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिवा

संख्या- 09/2019/77(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।